कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

संख्याः–3060 / FP/UK /ROAD /145468/ 2021 देहरादूनः दिनांक 28 जून, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषय :– जनपद चम्पावत के अन्तर्गत बिनवालगॉव कलियाधूरा (छिड़ाखान) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.720 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (Online No-FP/UK /ROAD /145468/ 2021)

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय देहरादून की पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी/06/09/2023/एफ0सी0 /1537, दिनांक 09.02.2023

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS दिनांक 09.02.2023** के द्वारा चाही गयी सूचना के सम्बन्ध में वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 3477/12–1(2) दिनांक 12.06.2023 से प्राप्त आख्या/सूचना निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है :–

क्र.स.	भारत सरकार द्वारा उल्लिखित बिन्दु	प्रतिउत्तर
1	बिन्दु सं0–1 Three village are to be benefited by the proposed road but in details of villages to be benefited population of only two villages i.e. Binwalgaon and Goldanda is mentioned. Hence, the clarification and necessary corrections in this regard is needed to be done by the State Govt.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम सभा गोलडांडा के अन्तर्गत तोला तोक भी है, जिसकी ग्राम सभा एवं लाभान्वित होने वाली आवादी एवं जनसंख्या ग्राम सभा गोलडॉडा एक ही एवं राजस्व ग्राम अलग होने के कारण भूमि तोला के नाम से ली गई है, ग्राम प्रधान का प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के पृष्ट सं0– 108 में संलग्न है, जिस कारण प्रभावित दो ही ग्रामसभा बिनवालगॉव एवं गोलडॉडा ही दर्शाये गये है।
2	बिन्दु सं0–2 On perusal of KML it appears that all the beneficiary villages appear to be connected at point 24 as shown in the digital map. Hence. There seem to be no need to extend the path beyond. The concerned DFO is requested to visit the area and submit a detailed report based on the above fact.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 16.500 कि0मी0 का तैयार कर शासनादेशानुसार अग्रसारित किया गया था, ~~जो कि~~ दिनांक 23–09–2020 को आर0 ई0 सी0 की बैठक में ~~लम्बाई~~ 15.200 कि0मी0 का संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है, (निर्देशों की छाया प्रति संलग्न की जा रही है) जो कि अन्तिम बिन्दु आवादी एवं नाप भूमि तक लिया गया है के0एम0एल0 में पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण मकान अलग–अलग दिखाई दे रहे है, निर्देशों के अनुपालन में 15.200 कि0मी0 लम्बाई में संशोधित प्रस्ताव में तैयार कर प्रेषित किया गया है।
3	बिन्दु सं0–3 State Govt. is requested to submit the cost befefit analysis in the prescribed format.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा निर्गत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव निर्माण मार्ग दर्शिका 2014 के दिये गये प्रोफार्मा के अनुसार तैयार कर प्रस्ताव में चस्पा किया गया है। **29.1 29.2**

4	बिन्दु सं0—4 State Govt. is requested to submit/upload the enumeration list of tress including the details of tress of 0-10 dia.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि 0—10 व्यास के वृक्षों की गणना उपरान्त संशोधित वृक्षों की सूची 5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
5	बिन्दु सं0—5 Possibility of disposing the muck in non-forest land has not been worked out considering the fact that the proposed alignment contails 2.59 ha area of private land. The State Govt. is requested to find suitable non-forest area for muck disposal and also submit the separate enumeration list for the dumping sites.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मार्ग के समरेखण में विभिन्न स्थानों पर 2.59 हे0 नाप भूमि प्रभावित हो रही है जिसमें हर जगह की स्थिति निम्नवत है— कि0मी0 1.00 में 250 मी0 नाप भूमि के नीचे आवादी हाने तथा कि0मी0—4 तक कोई मलवा निस्तारण हेतु नाप भूमि उपलब्ध नहीं है कि0मी0—5 एवं 6 में जो नाप भूमि प्रभावित हो रही है वह एकदम ऊँचाई वाले भाग में है चूंकि ढलान से ऊँचाई में मलवा 2—3 कि0मी0 की दूरी से पहुंचा पाना पहाड़ी भाग में सम्भव नहीं है साथ ही कि0मी0 8, 9, 10, 11, 14, 15 में जो नाप भूमि प्रभावित हो रही है वह आवादी एवं मकानों के निकट है जहां पर मलवा डम्पिंग स्थल हेतु स्थल उपलब्ध नहीं है साथ ही आधिकांश मलवा निस्तारण स्थल मार्ग के पहाड़ी ढलान को मध्य नजर रखते हुए सीमित लम्बाई व चौड़ाई में उपयुक्त सिविल भूमि का चयन करते हुए प्रत्येक कि0मी0 में स्थल चयनित किये गये है।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या 3060 / FP/UK /ROAD /145468/ 2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवकश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1- वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 3477/12—1(2) दिनांक 12.06.2023 के क्रम में।

2- प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

28/6/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,